III. TECHNO-ECONOMICALLY EXAMINED BY CENTRAL WATER COMMISSION AND CONSIDERATION DEFERRED BY ADVISORY COMMITTEE DUE TO NON-CLEARANCE OF THE PROJECT FROM ENVIRONMENTAL AND FOREST ANGLE.

	Major			
1.	Dudhganga	154.73	81.97	9/83
	Medium			
	—	—	—	

IV. THE STATE HAS TO SORT OUT VARIOUS TECHNO ECONOMIC ISSUES & OBTAIN ENVIRONMENT/FOREST/REHABILITATION & RESETTLEMENT CLEARANCES AS APPLICABLE.

	Major			
1.	Human	168.15	59.99	9/91
2.	Tultuli	82.64	30.59	11/90
	Medium			
1.	Saiki-Makardhokra	12.20	5.028	8/91
2.	Bor-Dahegaon	7.50	1.795	3/90
3.	Tajanapur Lift Irrigation	9.78	2.74	1/93
4.	Kordinal	10.36	2.61	1/93
5.	Dara	13.82	2.299	1/93
6.	Lower Panzara (Akkalpada)	48.98	6.19	1/90
7.	Nagan	19.47	2.49	1/93
8.	Brahmangaon Lift	8.73	3.20	2/93
9.	Chandrabhaga	24.79	5.61	2/93
10.	Pentakli Tank	20.72	10.49	12/92

NOTE : The clearance of the project depends upon how soon the State Government complies with the observations of the Central Appraising Agencies and obtains clearances from the Ministry of Environment & Forests from environment and forest angle and from Ministry of Welfare if displacement of Scheduled Castes and Scheduled Tribes population is there.

बिहार में औरंगाबाद सिंचाई परियोजना

2415. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में पटना में यह घोषणा की है कि बिहार में प्रस्तावित औरंगाबाद सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का कार्य कब से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और उस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना से किन-किन क्षेत्रों के कितने क्षेत्र-भाग में सिंचाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा यह स्कीम मूल रूप से 125.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुछ टिप्पणियों के साथ 1983 में अनुमोदित की गयी थी । राज्य सरकार से 297.81 करोड़ रुपये (87-88 के मूल्य स्तर पर) का संशोधित अनुमान जुलाई, 1989 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुआ था । केन्द्रीय जल आयोग ने हाल ही में इस परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा किया है । धन की कमी के कारण केवल प्रारंभिक कार्य ही किये गये हैं । इस स्कीम पर 3/93 तक लगभग 15.51 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है । इस परियोजना के लिये आठवीं योजना के वास्ते 20 करोड़ रुपये के परिव्यय तथा 1993-94 के लिये 5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) इस परियोजना का कृष्य कमान क्षेत्र पलामू जिले में 63,330 हेक्टेयर तथा औरंगाबाद जिले में 1,870 हेक्टेयर है ।

राज्यों के बीच पानी का बंटवारा

2416. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के लिए कोई ठोस उपाय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पानी के उचित सदुपयोग हेतु उचित प्रबन्धों के अभाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि-17 के अनुसार, सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि-56 के प्रावधानों के अध्यधीन जल अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई एवं नहरों, जल निकास और तटबंध, जल भंडारण तथा जल विद्युत राज्य सरकारों का दायित्व है । इसलिये, राज्य सरकारों को अपने स्वयं के संसाधनों से जल संसाधन विकास स्कीमों की आयोजना, निरूपण और क्रियान्वयन करना है ।

केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से जल संसाधनों के विकास के लिये एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है जिसमें जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये अधिक जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अंतरित करने के लिये विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच अलग-अलग अन्त:सम्पर्क करने की परिकल्पना की गयी है । सरकार ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी गठित की है जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री/सिंचाई के प्रभारी मंत्री सदस्य हैं तथा इसमें संबंधित राज्यों की सहमति से इन प्रस्तावों को सुनिश्चित करने के लिये एक तकनीकी सचिवालय है ।

Redistribution of River Waters between Punjab and Haryana

2417. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government propose to reopen the Water dispute i.e. redistribution of river waters between Punjab and Haryana;

(b) if so, what is the thinking of Government on the above issue vis-a-vis Report of Justice Irady Tribunal; and

(c) if the answer to parts (a) and (b) is negative, what is the ratio of Ravi-Beas Waters between the State of Punjab and specifically the state of Haryana ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) The dispute concerning allocation of Ravi-Beas Waters has been referred to a Tribunal constituted by the Central Government under the Inter-State Water Disputes Act, 1956, on 2-4-86. On the report given by the Tribunal the States of Punjab, Haryana and Rajasthan and the Central Government have sought explanation and guidance on certain points from the Tribunal. Government of Punjab had thereafter pleaded before the Tribunal that the proceedings of the Tribunal be kept in abeyance till a popular Government was established in Punjab. With the installation of the popular Government in Punjab discussions have been initiated with the States to explore the possibilities of sorting out the various issues amicably.

(c) Does not arise.

Processing/Distributing Capacity and Loss of Raw Water in Delhi

2418. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item appeared in the Hindustan Times dated 22nd July, 1993 captioned "No solution to water crises in Delhi in sight" and much talked Agreement on sharing of Yamuna Water between Delhi and Neighbouring States elusive;

(b) if so, the details thereof indicating the number of treatment plants in operation with their processing/distribution capacity and loss of raw water from the stage of bringing to such plants gone unchecked/lost-annually particularly in Delhi;

(c) whether any study was undertaken by Delhi Administration for raw water requirement or available surface water reserved during the last three decades; and if so, with what results; and

(d) what is at present the requirement of raw water of over 93 lakh people of Delhi and steps taken so far to meet the situation and if not who is responsible for this cellousness and present water crisis in Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. The MoU allocating the utilisable surface water resources of Yamuna upto Okhla amongst the co-basin states has been accepted by the states of Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh